रा.पु.मु.ज. / 5–99 / 70,000

# प्रथम सूचना रिपोर्ट

( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता )

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, धौलपुर.....थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2022.
   प्र. इ. रि. स. ............163/2022........ दिनांक ..............5/5/2022..............
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . .धारायें.........7, ............................
   (ब) अधिनियम .........आई.पी.सी.......................................धारायें...............120 बी.........................
   (स) अधिनियम ..........................................................धारायें........................................................
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ..........................................................................................
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ...93 ~~93~~...समय.........6-20 P.M.................
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–बुधवार / 04.05.2022 / 03.10 पी.एम...................................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–02.05.2022 समय.–10.15 ए.एम. ............................
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– बस स्टैण्ड हलैना जिला भरतपुर।
   (अ) पुलिस थाना (चौकी) से दिशा व दूरी –दक्षिण–पश्चिम, दूरी करीब 135 किमी..........................
   (ब) पता – ......................................बीट सख्या .......जरायमदेहीसं.........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना..............जिला......................
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री गिरधर सिंह**
   (ब) पिता / पति का नाम श्री फूल सिंह जाति जाट .......(स) जन्म तिथि / वर्ष 56 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ..........................................................................................
   (य) पासपोर्ट सख्या ...........जारी होने की तिथी............जारी होने की जगह..................................
   (र) व्यवसाय...... ।
   (ल) पता....ग्राम –जहानपुर पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

**1–श्री अजय सिंह पुत्र श्री भरतसिंह जाति जाट उम्र 42 साल निवासी 308, सेढ का मढ चौराहा के पास गोपालगढ मोहल्ला पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर हाल वनपाल, वन विभाग नाका हलैना जिला भरतपुर।**

**2–श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री किशन सिहं जाति जाट उम्र 59 साल निवासी ग्राम नसवारा पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर हाल वृक्ष पालक वनपाल नाका वन विभाग हलैना जिला भरतपुर**

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.................................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   ..........................................11,000 / –रू0 रिश्वत राशि ...........................................................
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या ( अगर हो तो )........
    ...........................................11,000 / –रू0 रिश्वत राशि ........................................................
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ..............नहीं.....................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ( अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये )...................

सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी धौलपुर। विषयः– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरी मेरे गांव जहानपुर में कृषि भूमि में कुछ बबूल इत्यादि के पेड खडे हुए हैं जिनसे मेरी फसल को नुकसान होता है। मैं इन पेडों की कटाई / छंगाई करना चाहता हूं लेकिन हमारे क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारी अजय फोरेस्टर व महेन्द्र सिंह मुझसे इन पेडों की कटाई / छंगाई कर लेने हेतु रिश्वत मांग रहे हैं। मुझसे 15,000 / –रूपये रिश्वत मांग रहे हैं। मैं इनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं और इन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई पुरानी रंजिश एवं लेनदेन नहीं है। मैं यह कार्यवाही आपकी चौकी से करवाना चाहता हूं। एस.डी. गिरधर सिंह, प्रार्थी गिरधर सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी जहानपुर थाना हलैना जिला भरतपुर। मो.नं. 8290556538 एसडी दिलीप सिंह 04.05.22, एसडी ओमहरि उपाध्याय दि. 04.05.22 एसडी सुरेन्द्र सिंह पुलिस उप अधीक्षक दि. 02.05.2022

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 02.05.2022 को समय 10.15 ए.एम. पर परिवादी श्री गिरधर सिंह पुत्र श्री फूल सिंह जाति जाट उम्र 56 वर्ष निवासी जहानपुर पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर ने जरिये मोबाईल हुई वार्ता अनुसार बमुकाम हलैना में मन उप अधीक्षक पुलिस एसीबी धौलपुर को मय स्वंय के आधार की स्वंप्रमाणित फोटो प्रति के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी धौलुपर के पदनाम से सम्बोधित कर लिखित रिपोर्ट पेश की। मजीद दरियाप्त पर परिवादी श्री गिरधर ने बताया कि मेरे खेत में कुछ बबूल के पेड हैं व मैने आस पडौस के मेरे चाचा ताऊ के सूखे बबूल के पेडों को भी खरीद लिया है जिनसे मैं मेरे कृषि कार्य के लिए मैज बनवाऊगा। मेरे खेत वाले बबूलों से मेरी खेती में नुकसान होता है इसलिए मैं उनको व मेरे द्वारा खरीदे गये पेडों की आज से लगभग 3–4 दिन पहले कटाई/छंगाई कर रहा था तो वन विभाग के दो अधिकारी/कर्मचारी अजय सिह व महेन्द्र मेरे पास आये व कहा कि तुम इन पेड़ो को क्यों काट रहे हो तो मैंने उन से कहा कि इनसे मेरी खेती में नुकसान होता है इसलिए काट रहा हूँ। तो उन्होने कहा कि तुम हमसे मिले बिना ऐसे नही काट सकते हो जब तक तुम हमें खर्चा पानी (रिश्वत) नही दोगे तब तक तुम पेड़ नही काट सकते हो। वो मुझसे 15,000/–रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। आज उन्होने मुझे 12 बजे के लगभग फोन कर मिलने की कहा है। परिवादी ने उक्त दोनो वन विभाग के कर्मचारियों से कोई आपसी रंजिश व रूपयों का लेनदेन होना भी नहीं बताया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से अजय सिंह व महेन्द्र वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग/प्राप्त करने का पाया गया। तत्पश्चात समय 10.35 ए.एम. पर पूर्व से तलबशुदा एसीबी चौकी धौलपुर से श्री भोजराज सिंह कानि. 257, श्री ब्रह्मदेव कानि. नं. 449 एसीबी चौकी धौलपुर से मय प्राईवेट मोटरसाइकिल के मय सरकारी वाईस रिकॉर्डर, लैपटॉप, हैड फोन, प्रिन्टर इत्यादि के उपस्थित आये जिनको हमराह लिया। तत्पश्चात समय 11.50 ए.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु श्री महेन्द्र वन विभाग के अधिकारी नाका हलैना को परिवादी से फोन कराया जाकर मालूमात कराया गया तो महेन्द्र ने परिवादी को कहा कि मैं व अजय सिंह जी एक्स फौजी होटल जहानपुर मोड मैन हाईवे पर आ रहे है आप वहॉ मिल जाना। इस पर परिवादी गिरधर सिंह को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए विभागीय वॉईस रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई गई। वॉईस रिकार्डर को खाली किया जाकर श्री भोजराज सिंह कानि. 257 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी को आरोपी के पास में भेजने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता होने के बाद परिवादी के वापिस आने पर वॉईस रिकार्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे तथा वापस आकर पेश करें। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 12.00 पी.एम. पर परिवादी श्री गिरधर सिंह एवं श्री भोजराज सिंह कानि. 257 को निजी मोटर साईकिल से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु आरोपी के द्वारा परिवादी को मोबाईल पर बताये स्थान एक्स फौजी होटल जहानपुर मोड मैन हाईवे के लिए वाईस रिकॉर्डर में श्री भोजराज कानि. द्वारा अपना नाम पद बोलकर परिवादी गिरधर सिंह को सुपुर्द कर बाद हिदायत रवाना करने पर समय 12.35 पी.एम. पर श्री भोजराज सिंह कानि. नं. 257 मय परिवादी श्री गिरधर सिंह के मय प्राईवेट मोटरसाईकिल के उपस्थित केम्प हलैना आये और पूछने पर परिवादी ने बताया कि हम आपके यहां से श्री भोजराज कानि. के साथ रवाना होकर महेन्द्र द्वारा बताये स्थान एक्स फौजी होटल जहानपुर मोड के पास पहुंचे जहां पर भोजराज कानि. मोटरसाईकिल से उतर गया व मैं मोटरसाईकिल लेकर उनके बताये हुए स्थान पर पहुंच गया। वह होटल उस समय बन्द थी वहां पर कोई नहीं था। मैं मोटरसाईकिल को खडा कर वहीं पर खडा हो गया व भोजराज कानि. सामने की दूसरी होटल पर जाकर बैठ गये जहां से मैं क्लियर दिख रहा था थोडी देर बात अजय सिंह व महेन्द्र दोनो एक मोटरसाईकिल पर मेरे पास आये तो मैने मेरे बबूलों व अन्य लकडियों को काटने के बारे में बात की तो उन्होने मेरी लकडियां कटवाने में मदद करने की एवज में अजय सिंह द्वारा हाथ का इशारा कर 15,000/–रूपये देने की कहा व 4,000/–रूपये मुझसे अजय सिंह ने उसी समय प्राप्त कर गिनकर महेन्द्र को दे दिये व 11,000/–रूपये बाद में लेने पर सहमत हुए। अजय सिंह ने शेष 11,000/–रूपये महेन्द्र को देने की कहा है। इसके बाद वो दोनो वहां से चले गये व मैं भी मोटरसाईकिल लेकर रवाना होकर श्री भोजराज कानि. के पास पहुंच कर वाईस रिकॉर्डर को उन्हें सुपुर्द कर दिया जिन्होने वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया व मैने सारी बात श्री भोजराज कानि. को बताई फिर हम वहां से रवाना होकर आपके पास आ गये। वाईस रिकॉर्डर श्री भोजराज सिंह के पास है। इस पर श्री भोजराज सिंह कानि. ने पूछने पर परिवादी के कथनो की ताईद की और वाईस रिकॉर्डर सुरक्षित अपने पास होना बताया। तत्पश्चात समय 12.55 पी.एम. पर श्री भोजराज सिंह कानि. 257 ने मांगने पर वाईस रिकार्डर बन्द हालत में पेश किया। जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया।

वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड वार्ता को हैडफोन की सहायता से सुना गया तो परिवादी के बताये अनुसार वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। फर्द वापसी वाईस रिकार्डर पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 01.00 पी.एम. पर परिवादी श्री गिरधर सिंह ने बताया कि मुझे घर पर बहुत जरूरी कार्य है। मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता हूं। मैं सुबह आपके पास आ जाउंगा। इस पर परिवादी श्री गिरधर सिंह को अग्रिम कार्यवाही हेतु कल दिनांक 03.05.2022 को सर्किट हाउस भरतपुर में आने की व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रवाना किया गया। चूंकि कल परिवादी की मौजूदगी में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द रूपान्तरण व डीवीडियां तैयार की जानी है। अतः ब्रह्मदेव कानि. को मोटरसाईकिल से रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री भोजराज कानि. मय लैपटॉप, वाईस रिकॉर्डर इत्यादि सामान के प्राईवेट वाहन से रवाना होकर सर्किट हाउस भरतपुर पहुंचा जहां कार्यवाही किये जाने हेतु स्थान की आवश्यकता होने से सर्किट हाउस मैनेजर से सम्पर्क कर नियमानुसार कमरा नं. 208 बुक कराया जाकर केम्प मुकीम सर्किट हाउस भरतपुर हुआ। इसके बाद दिनांक 03.05.2022 को समय 01.15 पी. एम. पर परिवादी श्री गिरधर सिंह पूर्व से तलबशुदा उपस्थित सर्किट हाउस भरतपुर आया जिसे अपने पास कमरे में बिठाया। तत्पश्चात समय 01.20 पी.एम. पर वाईस रिकार्डर को लैपटॉप कम्प्यूटर में कनेक्ट किया जाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को लैपटॉप कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव किया गया व लैपटॉप कम्प्यूटर से डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.05.2022 को परिवादी श्री गिरधर सिंह व गवाहान की मौजुदगी में सुना गया तो परिवादी के पूर्व के कथनो की ताईद होना पाई गई। डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी से पूछ–पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया तथा उक्त वार्ता की चार डीबीडीयां क्रमश– मूल, मुलजिम प्रति दो एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर उन पर मार्क A अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मूल, व दो मुलजिम डीबीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया। तत्पश्चात समय 03.00 पी.एम. पर परिवादी श्री गिरधर सिंह से रिश्वत राशि 11,000/–रूपये के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अभी मेरे पास रिश्वत राशि का इन्तजाम नहीं है। मैं कल रिश्वत राशि का इन्तजाम कर आपके पास आ जाउंगा। इस पर परिवादी श्री गिरधर सिंह को रिश्वत राशि का इन्तजाम कर कल दिनांक 04.05. 2022 को सर्किट हाउस भरतपुर उपस्थित आने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 04.05.2022 को समय 09.30 ए.एम. पर पूर्व से तलविदा एसीबी चौकी धौलपुर से श्री मनोज कुमार कानि. नं. 179, श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक, मय सरकारी बोलेरो मय चालक/कानि. महीपाल 338 के मय ट्रेप बॉक्स व ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित अन्य सामान व गाडी के डेस्कबोर्ड में फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शीशी भलीभांति रखकर उपस्थित सर्किट हाउस आये जिन्हें बिठाया गया। तत्पश्चात समय 11.00 ए.एम. पर गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग भरतपुर से दो स्वतन्त्र गवाह बुलाये जिनसे नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम दिलीप सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह जाति जाटव उम्र 35 साल निवासी ग्राम व पोस्ट इब्राहिमपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर हाल सूचना सहायक, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरतपुर व ओमहरि उपाध्याय पुत्र श्री देवदत्त जाति ब्राह्मण उम्र 30 साल निवासी ग्राम बमनपुरा पुलिस थाना सेवर तहसील व जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरतपुर होना बताया जिन्हें बिठाया गया। तत्पश्चात समय 01.045 पी.एम. पर पूर्व से तलविदा परिवादी श्री गिरधर सिंह उपस्थित सर्किट हाउस आया जिसने बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 11,000/–रूपये का इन्तजाम कर लाया हूं। इस पर पूर्व से उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री ओमहरि उपाध्याय कनिष्ठ सहायक व श्री दिलीप सिंह सूचना सहायक का परिवादी श्री गिरधर सिंह से आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा दिनांक 02.05.2022 को मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश की गई लिखित रिपोर्ट पढने को दी गई। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी एवं परिवादी द्वारा पेश शुदा रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया गया। तत्पश्चात समय 01.20 पी. एम. पर स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री गिरधर सिंह ने आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 22 (बाईस) भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 11,000/–(ग्यारह हजार) रूपये अपने पास से निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

| क्र.सं. | नोटो का विवरण | नोटो के नम्बर |
|---|---|---|
| 1 | एकनोट 500 रूपये का | 7HD 646594 |
| 2 | एकनोट 500 रूपये का | 6KG 319425 |
| 3 | एकनोट 500 रूपये का | 4SN 139282 |
| 4 | एकनोट 500 रूपये का | 6ST 950964 |
| 5 | एकनोट 500 रूपये का | 1GR 599199 |
| 6 | एकनोट 500 रूपये का | 5QG 455125 |
| 7 | एकनोट 500 रूपये का | 2QL 615989 |
| 8 | एकनोट 500 रूपये का | 7GR 979120 |
| 9 | एकनोट 500 रूपये का | 6VG 121179 |
| 10 | एकनोट 500 रूपये का | 4CF 788161 |
| 11 | एकनोट 500 रूपये का | 7DT 923686 |
| 12 | एकनोट 500 रूपये का | 9KL 537886 |
| 13 | एकनोट 500 रूपये का | 5NK 144916 |
| 14 | एकनोट 500 रूपये का | 2RF 575383 |
| 15 | एकनोट 500 रूपये का | 4FF 348153 |
| 16 | एकनोट 500 रूपये का | 5GV 600100 |
| 17 | एकनोट 500 रूपये का | 6TC 703566 |
| 18 | एकनोट 500 रूपये का | 2SS 234417 |
| 19 | एकनोट 500 रूपये का | 4NA 983116 |
| 20 | एकनोट 500 रूपये का | 8AU 063522 |
| 21 | एकनोट 500 रूपये का | 2GC 260107 |
| 22 | एकनोट 500 रूपये का | 7UT 017357 |

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो स्वतन्त्र गवाहान ने नोटों के नम्बरों का मिलान सहीं होना बताया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार कानि. नं. 179 से सरकारी बोलेरो गाडी के डेस्कबोर्ड में सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त 11,000/–(ग्यारह हजार रूपये ) के नोटों पर श्री मनोज कुमार कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया। परिवादी श्री गिरधर सिंह की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री दिलीप सिंह सूचना सहायक से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 11,000/–रूपये के नोटों को श्री मनोज कुमार कानि. से सीधे ही परिवादी द्वारा पहने हुए पेन्ट के दाहिनी तरफ की साईड की जेब में रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। इसके बाद गवाह श्री दिलीप सिंह सूचना सहायक से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मनोज कुमार कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिकिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी गिरधर सिंह को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को कमरे के बाथरूम में डलवाकर बहाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री मनोज कुमार कानि. के पास सुरक्षित रखवाया गया। श्री मनोज कुमार कानि. के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। गिलास को कमरे में ही रखवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में

उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02.09 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री गिरधर सिंह के मोबाईल नं. 8290556538 से आरोपी श्री अजय सिंह, वन पाल के मोबाईल नं. 9828800373 पर सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर मोबाईल के स्पीकर ऑन करवाकर कॉल करवाया तो आरोपी अजय सिह ने परिवादी को हलैना बस अड्डे पर बुलाया है। जिसको वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्तालाप की फर्द रूपान्तरण व डीवीडी पृथक से तैयार की जावेगी। तत्पश्चात समय 02.15 पी.एम. पर पाउडर लगाने वाले श्री मनोज कानि. 179 को मय फिनॉफ्थनील शीशी के सहित सर्किट हाउस भरतपुर में छोडकर श्री ब्रह्मदेव कानि. 449, श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक व स्वतन्त्र गवाह श्री ओमहरि उपाध्याय, कनिष्ठ सहायक मय सरकारी बोलेरो मय चालक श्री महिपाल सिंह के आगे आगे रवाना कर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री दिलीप सिह सूचना सहायक, श्री भोजराज कानि. 257 व परिवादी श्री गिरधर सिंह के मय प्राइवेट वाहन से मय ट्रेप बॉक्स व ट्रेप में काम आने वाले समस्त उपकरण लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि के सर्किट हाउस भरतपुर से रवाना होकर समय 03.00 पी.एम. पर हलैना बस स्टेण्ड के पास पहुँचा जहॉ वाहनो को साईड में रूकवा कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को संभलाकर परिवादी श्री गिरधर सिंह को आरोपी अजय सिंह के बतायेनुसार बस स्टेण्ड पर ही आरोपी को रिश्वत राशि देने हेतु आवश्यक हिदायत के साथ रवाना किया गया। मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के आस–पास दुकानों पर अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खड़े हो गये। परिवादी साफ नजर आ रहा था। तत्पश्चात समय 03.10 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस सुरेन्द्र सिंह को परिवादी श्री गिरधर सिंह के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के बस स्टैण्ड हलैना पर परिवादी के पास पहुंचा जिससे पूर्व में सुपुर्दशुदा वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी श्री गिरधर सिंह ने उसके पास में खडे एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही अजय सिंह फोरेस्टर हैं जो अभी एक मोटरसाईकिल से मेरे पास आये और इन्होने मुझसे रिश्वत के 11,000/–रूपये लेकर अपने दोनो हाथों से गिनकर पहनी हुई पेन्ट की बायीं तरफ की साईड की जेब में रख लिये हैं। इस पर पास खडे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अजय सिंह पुत्र श्री भरतसिंह जाति जाट उम्र 42 साल निवासी 308, सेढ का मढ चौराहा के पास गोपालगढ मोहल्ला पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर हाल वनपाल, वन विभाग नाका हलैना जिला भरतपुर होना बताया व अपने हाथों को रगडने की कोशिश करने लगा व हल्ला मचाने लगा इस पर मेरे निर्देशानुसार अजय सिंह वनपाल का बायां हाथ श्री ब्रह्मदेव कानि. 449 व दाहिना हाथ स्वतन्त्र गवाह श्री ओमहरि उपाध्याय कनिष्ठ सहायक ने कलाईयों के उपर से पकड लिये। बस स्टैण्ड पर अजय सिंह की आवाज सुनकर लोग इकट्ठे होने लग गये व बहुत भीड इकट्ठी होने लग गई। उक्त स्थान पर टीम को बैठकर कार्य करने एवं लैपटॉप व प्रिन्टर इत्यादि को विधुत सप्लाई की सुचारू व्यवस्था नहीं होने के कारण मौके पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होने से अजय सिंह वनपाल को हाथ पकडी हुई स्थिति में ही गाडी में बिठाकर बस स्टैण्ड से रवाना होकर मय जाप्ता व परिवादी के सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना हलैना पर पहुंचा जहां पर थानाधिकारी हलैना से कमरा उपलब्ध करवाने हेतु कहा तो थानाधिकारी हलैना द्वारा पुलिस थाने का एक कक्ष उपलब्ध करवाया जिसमें अजय सिंह को हाथ पकडी हुई स्थिति में ही पुलिस थाना हलैना के कक्ष में पहुंचे। तत्पश्चात अजय सिंह वनपाल से महेन्द्र सिंह वृक्ष पालक के बारे में पूछा तो अजय सिंह वनपाल ने बताया कि महेन्द्र सिंह अभी नाका हलैना पर मिल सकता है। इस पर महेन्द्र सिंह को डिटेन करने हेतु श्री भोजराज सिंह कानि. 257 व श्री राजकुमार कनिष्ठ सहायक मय सरकारी बोलेरो मय चालक महीपाल सिंह के वनपाल नाका हलैना रवाना किया गया। तत्पश्चात आरोपी अजय सिंह वनपाल से परिवादी गिरधर सिंह से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछताछ की तो अजय सिंह ने बताया कि हमारे कर्मचारी महेन्द्र सिंह वृक्षपालक ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि एक जहानपुर का गिरधर नाम का व्यक्ति है गिरधर है जो अपने खेत की लकडियों को काटना चाहता है जिसको मैने लकडी काटने से रोक दिया है। उसे आपसे मिलाना चाहता हूं। फिर महेन्द्र ने दिनांक 02.05.2022 को गिरधर से मुझे मिलवाया व हमारी बातचीत उस दिन हुई थी। उस दिन गिरधर ने 4,000/–रूप्ये हमें दिये थे जो मैने महेन्द्र को दे दिये थे। आज गिरधर का मेरे पास फोन आया था व मुझसे महेन्द्र के बारे में पूछा था तो मैने उसको बताया कि महेन्द्र तो आज नहीं आया है। फिर उससे मैने बस स्टैण्ड हलैना पर

मिलने की कहा था। थोडी देर बाद मै बस स्टैण्ड हलैना पहुंचा जहा पर मुझे गिरधर मिला जिसने मुझे 11,000/–रूप्ये दिये थे जिनको मैने गिनकर मेरी पेन्ट की जेब में रख लिये थे जो अभी भी मेरे पेन्ट की जेब में रखे हैं। इस गिरधर से सारी बात महेन्द्र की हुई थी। मुझे तो इससे महेन्द्र ने मिलवाया था। इस पर परिवादी श्री गिरधर सिंह से आरोपी अजय सिंह द्वारा रिश्वत लेने के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे खेत में कुछ बबूल के पेड हैं व मैने आस पडौस के मेरे चाचा ताऊ के सूखे बबूल के पेडों को भी खरीद लिया है जिनसे मैं मेरे कृषि कार्य के लिए मैज बनवाऊगा। मेरे खेत वाले बबूलों से मेरी खेती में नुकसान होता है इसलिए मैं उनको व मेरे द्वारा खरीदे गये पेडों की आज से लगभग 5–6 दिन पहले कटाई/छंगाई कर रहा था तो अजय सिह व महेन्द्र मेरे पास आये व कहा कि तुम इन पेड़ो को क्यों काट रहे हो तो मैंने उन से कहा कि इनसे मेरी खेती में नुकसान होता है इसलिए काट रहा हूँ। तो उन्होने कहा कि तुम हमसे मिले बिना ऐसे नही काट सकते हो जब तक तुम हमें खर्चा पानी (रिश्वत) नही दोगे तब तक तुम पेड़ नही काट सकते हो। ये मुझसे 15,000/–रूपये रिश्वत की मांग कर रहे थे जिसकी शिकायत दिनांक 02.05.2022 को मैने आपको दी थी जिस पर आपने रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जिसमें अजय सिंह वनपाल व महेन्द्र सिंह वृक्ष पालक द्वारा मेरे बबूलों व अन्य लकडियों को कटवाने में मदद करने की एवज में अजय सिंह द्वारा 4,000/–रूपये उसी समय प्राप्त कर गिनकर महेन्द्र को दे दिये व 11,000/–रूपये बाद में लेने पर सहमत हुए थे। इसी मांग के अनुसार आज दिनांक 04.05.2022 को अजय सिंह फोरेस्टर ने मुझे बस स्टैण्ड हलैना पर बुलाकर 11,000/–रूपये रिश्वती राशि मुझसे प्राप्त कर अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायीं तरफ की जेब में रख लिये थे। मैने मौका पाकर आपको नियत इशारा कर दिया था। तत्पश्चात श्री भोजराज सिंह कानि. 257 मय जाप्ता के एक व्यक्ति को डिटेन कर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आये। डिटेनशुदा व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महेन्द्र सिंह पुत्र श्री किशन सिहं जाति जाट उम्र 59 साल निवासी ग्राम नसवारा थाना हलैना जिला भरतपुर हाल वृक्ष पालक वनपाल नाका वन विभाग हलैना जिला भरतपुर होना बताया जिससे अजय सिंह वनपाल के साथ मिलकर दिनांक 02.05.2022 को परिवादी गिरधर से दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 4,000/–रूप्ये प्राप्त करने व 11,000/–रूप्ये बाद में लेने पर सहमत होने के सम्बन्ध में पूछताछ की तो उसने बताया कि गिरधर मुझसे मिला था जिसने कहा था कि मेरे खेतों में कुछ सूखे पेड हैं जिनको मैं काटुंगा। उन पेडों को कटवाने में मदद करने के लिए मैने व अजय सिंह जी ने दिनांक 02.04.2022 को 4,000/–रूप्ये जहानपुर मोड पर बनी हुई होटल पर लिये थे व 11,000/–रूप्ये बाद में देने की बात हुई थी। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक स्टील के कटोरे को निकलवाकर थाने के स्वागत कक्ष में रखे हुए मटके में से बोतल में साफ पानी मंगवाकर स्टील के कटोरे को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर कटोरे में साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह दिलीप सिंह सूचना सहायक से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर स्टील के कटोरे के घोल में श्री अजय सिंह वनपाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। पुनः स्टील के कटोरे को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री अजय सिंह वलपाल के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया। अजय सिंह वनपाल के पहने हुए पेन्ट की बायीं तरफ की साईड की जेब से रिश्वत राशि गवाह श्री दिलीप सिंह सूचना सहायक से निकलवाई जाकर गिनवाई तो भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 22 नोट कुल 11,000/–रूपये हैं। नोटों का विवरण फर्द में अंकित कर उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से स्वतन्त्र गवाहान से करवाने पर नम्बर हूबहू पाये गये। सभी नोटो को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी अजय सिंह वनपाल द्वारा पहनी हुई पेन्ट जिसकी बायीं तरफ की साईड की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई थी को उतरवाकर आरोपी अजय सिंह वनपाल को बाजार से लोवर मंगवाकर पहनवाया गया। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स से स्टील का कटोरा निकलवाकर उसे अच्छी तरह से साबुन पानी से साफ करवाकर उसमें साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त पेन्ट की पीछे की बायीं

तरफ की साईड की जेब को धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क PP-1 व PP-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन्ट बरंग डार्क ग्रे है जिस पर अन्दर की तरफ JOHN PLAYERS SLIM FIT का स्टीकर लगा हुआ है। । पेन्ट को सुखवाकर बायीं तरफ की साईड की जेब पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "PP" अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी। फर्द बरामदगी पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 05.15 पी.एम. पर समय स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अजय सिंह वनपाल, वन विभाग नाका हलैना जिला भरतपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए बाद जामा तलाशी जरिये फर्द गिरफ्तारी जुर्म धारा 7, पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व धारा 120बी आई.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 05.40 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी महेन्द्र सिंह वृक्ष पालक वनपाल नाका वन विभाग हलैना जिला भरतपुर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पद व अधिकारों एवं समस्त कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाते हुए बाद जामा तलाशी जरिये फर्द गिरफ्तारी जुर्म धारा 7, पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व धारा 120बी आई.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 06.05 पी.एम. पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 06.30 पी.एम. पर रिश्वत लेन–देन से पूर्व परिवादी गिरधर सिंह के मोबाईल नं. 8290556538 से आरोपी श्री अजय सिंह, वनपाल के मोबाईल नं. 9828800373 पर हुई वार्ता व वक्त रिश्वत लेन–देन परिवादी व आरोपी अजय सिंह के मध्य आमने–सामने हुई वार्ता जो सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को मन उप अधीक्षक पुलिस ने लेपटॉप/कम्प्यूटर से अटैच कर लेपटॉप/कम्प्यूटर में सेव कर रिकॉर्ड वार्तालापों को स्वतन्त्र गवाहान, व परिवादी के समक्ष सुना जाकर परिवादी गिरधर सिंह से पूछ–पूछकर आवाजों की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा लैपटॉप कम्प्यूटर की मदद से उक्त वार्ताओं की चार डीवीडी क्रमशः मूल प्रति, दो मुलजिम प्रति एवं आई.ओ. प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "B" अंकित कर डीवीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मूल व दो मुलजिम डीवीडीयों को अलग–अलग सफेद कपड़े की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं आई.ओ. प्रति डीवीडी को सफेद कपड़े की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 07.15 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं. 21 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी श्री गिरधर सिंह को रूख्सत किया गया। तत्पश्चात समय 07.30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमरीयान गवाहान, ट्रेप पार्टी के सदस्यों एवं गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री अजय सिह वनपाल व श्री महेन्द्र सिंह वृक्षपालक के जरिये राजकीय व प्राईवेट वाहन से बाद ट्रेप कार्यवाही मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट मुताबिक फर्दात के लेपटॉप मय प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के पुलिस थाना हलैना से रवाना होकर समय 08.45 पी.एम. पर सर्किट हाउस भरतपुर पहुँचा जहॉ पर आरोपीगण को कमरा नं. 208 में जाप्ता की निगरानी में बिठाया। जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट व अन्य सामान को मन पुलिस उप अधीक्षक ने सुरक्षित अपने पास रखा। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को बाद कार्यवाही रूख्सत किया गया। आरोपीगण श्री अजय सिंह वनपाल व श्री महेन्द्र सिंह वृक्ष पालक को बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा की दृष्टि से बन्द हवालात पुलिस थाना मथुरा गेट में करवाया गया।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी श्री अजय सिंह वनपाल व श्री महेन्द्र सिंह वृक्षपालक द्वारा वैद्य कार्य को करने के लिए वैद्य पारिश्रमिक के अलावा परिवादी श्री गिरधर सिंह से उसके खेत व आसपास के खेतों के सूखे बबूल के पेडों की कटाई करवाने में मदद करने के लिऐ 15,000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग करना, दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.05.2022 को आरोपी अजय सिंह वनपाल व आरोपी महेन्द्र सिंह वृक्ष पालक द्वारा 4,000/–रूपये रिश्वत के प्राप्त करना व 11,000/– रूपये बाद में लेने पर सहमत होना, उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 04.05.2022 को आरोपी श्री अजय सिंह वनपाल द्वारा परिवादी से

11000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बाई तरफ की साईड़ की जेब में रखना जहां से रिश्वत राशि बरामद होने का उक्त कृत्य जुर्म जैर दफा 7 पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व धारा 120 बी आईपीसी में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्तगण श्री अजय सिंह पुत्र श्री भरतसिंह जाति जाट उम्र 42 साल निवासी 308, सेढ का मढ चौराहा के पास गोपालगढ मोहल्ला पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर हाल वनपाल, वन विभाग नाका हलैना जिला भरतपुर व श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री किशन सिहं जाति जाट उम्र 59 साल निवासी ग्राम नसवारा थाना हलैना जिला भरतपुर हाल वृक्ष पालक वनपाल नाका वन विभाग हलैना जिला भरतपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित है।

(सुरेन्द्र सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
धौलपुर।

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में वर्णित आरोपीगण 1. श्री अजय सिंह, वनपाल, वन विभाग नाका हलैना, जिला भरतपुर एवं 2. श्री महेन्द्र सिंह, वृक्ष पालक, वनपाल नाका, वन विभाग हलैना, जिला भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 163/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5/5/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1424-28 दिनांक 5.5.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, भरतपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रटाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।